फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– **अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट** मु.नं. 92 सन् **2019**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.09.2019	(see below)	

यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी श्योजी सिंह पुत्र लखसिंह जाति राजपुत निवासी बामणीयां तहसील सुजानगढ जिला चूरू ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बामणीयां की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में नया खाता खंख्या 73 पुराना खाता संख्या 67 में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में लखसिहं पुत्र श्यामसिंह जाति राजपुत निवासी बामणियां तहसील सुजानगढ दर्ज है। जो गलत है। वादी के पिता का नाम आधार कार्ड परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम लखसिंह पुत्र भींवसिंह जाति राजपुत निवासी बामणीयां तहसील सुजानगढ है। वादी का नाम लखसिंह पुत्र भींवसिंह किया जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर उप तहसीलदार सालासर से रिपोर्ट ली गई। उप तहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमा बन्दी सम्वत् 2073–2076 में वादी का नाम लखसिहं पुत्र श्यामसिंह जाति राजपुत निवासी बामणियां दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड परिचय पत्र के अनुसार वादी का सही नाम लखसिंह पुत्र भींवसिंह जाति राजपुत निवासी बामणीयां तहसील सुजानगढ है, जो शुद्ध किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात तथा उप तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बामणियां तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमा बन्दी सम्वत् 2073–2076 में नया खाता संख्या 73 पुराना खाता संख्या 67 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	बामणियां	73/67	लखसिहं पुत्र श्यामसिंह जाति राजपुत निवासी बामणियां	लखसिंह पुत्र भींवसिंह जाति राजपुत निवासी बामणीयां

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ